संख्या-03/2025/191/77-6-2025-2(जनरल)/2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2025**

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-591/SKS/IUP/2024-25 दिनांक 29.07.2024, पत्र संख्या-866/SKS/IUP/2024-25 दिनांक 10.09.2024 एवं ईमेल दिनांक 10.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित मेगा श्रेणी/अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार-विमर्श किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रस्तावित औद्योगिक इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रसं	**कंपनी/स्थान/ क्षेत्र**	**प्रस्तावित निवेश (₹ करोड़)**	**श्रेणी**	**अनुरोधित प्रोत्साहन (₹ करोड़)**
1	**त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि./ मुरादाबाद/ पश्चिमांचल**	250.00	मेगा	पूंजीगत सब्सिडी
2	**गैलेंट इस्पात लिमिटेडमिर्जापुर/पूर्वांचल**	10,749.67	अल्ट्रा-मेगा	शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति
3	**सीएचडब्ल्यू फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड**	231.05	मेगा श्रेणी	पूंजीगत सब्सिडी
4	**वरुण बेवरेजेज लिमिटेड (गोरखपुर**	-	-	दिनांक 28.12.2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	इकाई)			को निर्गत एलओसी में संशोधन हेतु

3- उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत स्थिति पायी गई:-

(1) त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुरादाबाद (पश्चिमांचल)

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा **250.00 करोड़ रुपये** के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश (पश्चिमांचल) के जनपद मुरादाबाद में गुड़/अनाज से इथेनॉल के विनिर्माण की विविधीकरण इकाई हेतु रोजगार बूस्टर के साथ-साथ **'पूंजीगत सब्सिडी'** विकल्प के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। इकाई के प्रस्तावित पूंजी निवेश विवरण(इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) का परीक्षण कर पात्र पूंजी निवेश की गणना की निम्नवत स्थिति है-

क्रमांक	**अपात्र पूंजी निवेश मद**	**प्रस्तावित निवेश रू. 250.00 करोड़**	**टिप्पणी**
1	**2**	**3**	**4**
1	घटाया- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य शीर्ष	(13.78)	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क = ₹0.59 करोड़ प्राथमिक एवं संचालन-पूर्व व्यय = ₹8.05 करोड़ विविध अचल परिसंपत्तियां ,कार्यशील पूंजी एवं निर्माण अवधि में ब्याज = ₹5.14 करोड़
2	घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि एवं भवन की लागत (संदर्भ प्रस्तर 12.1.6)	(0.00)	भूमि एवं भवन की कुल लागत ₹16.48करोड़ है, जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 14**%** है। चूंकि भूमि एवं भवन की कुल लागत कुल पूंजी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			निवेश के 30%से अधिक नहीं है, अतः भूमि एवं भवन के संपूर्ण मूल्य पर विचार किया जायेगा।
3	घटाया : प्रभावी तिथि के पूर्व किया गया निवेश (संदर्भ प्रस्तर 12.1.10)	3.64	दिनांक 04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि ₹4.06 करोड़ है, जिसमें से ₹0.59 करोड़ स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क है जिसकी कटौती पूर्व में ही कर दी गयी है। प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश पूंजी निवेश का लगभग 1.46% है। चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेश की गई राशि 20% से कम है, अतः यह परियोजना स्वीकार्य है।
	पात्र पूंजी निवेश*	**232.58**	**(250.00 -17.42)**
	*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं *आवेदक द्वारा रोजगार बूस्टर के लिए आवेदन किया गया है। *आवेदक द्वारा भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है, जो स्वीकार्य होगा, क्योंकि नीति के प्रस्तर 12.8 के अनुसार भारत सरकार के प्रोत्साहनों के साथ dovetailing की अनुमति है।		

प्रस्तावित परियोजना के प्रथम निवेश की तिथि दिनांक 09/07/2005 है जो भूमि क्रय हेतु किया गया, तथा निर्दिष्ट भूमि पर दिनांक 09/07/2005 से 04/11/2022 तक कोई निवेश नहीं किया गया।

(2) गैलेंट इस्पात लिमिटेड

गैलेंट इस्पात लिमिटेड द्वारा 10,749.67 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर (पूर्वांचल) में टीएमटी बार, एचआर कॉइल/शीट्स, सीआर कॉइल/शीट्स का उत्पादन करने हेतु प्रस्तावित नई उत्पादन इकाई के लिए 'शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति विकल्प' हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट के स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

इकाई के प्रस्तावित पूंजी निवेश विवरण(इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) निम्नवत है-

(धनराशि करोड़ रू. में)

प्रस्तावित निवेश	**10749.67**	**अभ्युक्ति**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घटाया- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अंतर्गत अननुमन्य शीर्ष	2460.67	*स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की लागत =₹16 करोड़* *प्राथमिक एवं संचालन-पूर्व व्यय = ₹830.5 करोड़* *कंटीन्जेंसी= ₹830.5 करोड़* *सिविल कार्य पर जीएसटी घटक = ₹290.16 करोड़* *कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी= ₹493.51 करोड़*
घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि एवं भवन की लागत (संदर्भ प्रस्तर 12.1.6)	115.80	*भूमि एवं भवन निर्माण की प्रस्तावित लागत =₹2602.5 (कुल पूंजी निवेश का 31.39%) कुल पूंजी निवेश के %30 तक सीमित, अर्थात् ₹2486.70 करोड़*
घटाया : प्रभावी तिथि के पूर्व किया गया निवेश (संदर्भ प्रस्तर 12.1.10)	(0.00)	*दि नांक04.11.2022 के पूर्व कोई निवेश नहीं किया गया है*
पात्र पूंजी निवेश*	**8173.20**	
* *सभी आंकड़े प्रोत्साहन वितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं*		

आवेदक द्वारा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है, अतः राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023-24/212/राज्य कर दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं शर्तें, तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु दिशानिर्देश/नियम लागू होंगे।

(3) सीएचडब्ल्यू फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड

सीएचडब्ल्यू फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में अपने वर्तमान संयंत्र में आर्टिलरी शेल के निर्माण की अपनी विविधीकरण परियोजना हेतु **'पूंजीगत सब्सिडी'** विकल्प के साथ-साथ **'निर्यात एवं पारिस्थितिकी तंत्र'** बूस्टर हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें **'मेगा'** श्रेणी के अंतर्गत **231.05** करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। निवेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की प्रथम तिथि **31/03/2011** दर्ज कराई गई है जो 'शेड एवं बिल्डिंग' (वर्तमान भूमि पर प्रस्तावित विविधीकरण) में किया गया**,** जबकि आवेदन दि. **17/05/2024** को फ़ाइल किया गया एवं इस अवधि में विशाल स्तर पर शेड एवं बिल्डिंग मदों में निवेश किया गया था। **इकाई** द्वारा दिनांक **31/07/2025** तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है।

इकाई द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश का विवरण (प्रोफाइल) निम्नवत है-

विवरण	**धनराशि (₹ करोड़ में)**	**टिप्पणी**
प्रस्तावित निवेश	**231.05**	**-**
घटाया :औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -22 के प्रस्तर12.1.6 तथा 12.1.7 के अंतर्गत अस्वीकार्य	(19.45)	कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी =6.07 करोड़ रुपये प्रारंभिक तथा परिचालन-पूर्व व्यय =3.00 करोड़ रुपये निर्माण अवधि में ब्याज =10.38 करोड़ रुपये
कुल पूंजी निवेश*	**211.60**	
घटाया: समायोजित की जाने वाली अस्वीकार्य भूमि तथा भवन लागत (प्रस्तर 12.1.6 के अंतर्गत)	-	भूमि तथा भवन की कुल लागत 9.68 करोड़ रुपये है, जो कुल पूंजी निवेश का ~4.57% है। चूंकि भूमि तथा भवन की कुल लागत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022 के प्रस्तर 12.1.6(ii) के अनुसार कुल पूंजी निवेश के 30% से अधिक नहीं है, अतः भूमि एवं भवन के पूर्ण मूल्य पर विचार किया जाएगा।
पूंजी निवेश	**211.60**	-
घटाया: प्रभावी तिथि से पहले किया गया निवेश (खंड 12.1.10 के अंतर्गत)	(3.72)	04.11.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि 3.72 करोड़ रुपये है। प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश पूंजी निवेश का 1.75% है। चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेश की गई राशि से 20 प्रतिशत कम है, अतः यह परियोजना स्वीकार्य है।
पात्र पूंजी निवेश*	**207.88**	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं *आवेदक ने निर्यात तथा पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर हेतु आवेदन किया है, जिसका सत्यापन वास्तविक आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा।

(4) वरुण बेवरेजेज लिमिटेड (गोरखपुर इकाई)

उक्त इकाई को 28 दिसंबर, 2023 को एलओसी निर्गत किया गया था। दिनांक 10 जनवरी 2024 को इकाई द्वारा अपने प्रस्तावित उत्पादों तथा उत्पादन क्षमता में पुनरीक्षण के कारण स्वीकृत एलओसी में संशोधन का अनुरोध किया गया। संशोधित एलओसी में उत्पाद विवरण में 3,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले चीज़ को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है तथा यह उल्लिखित किया है कि यह बिंदु उनके द्वारा त्रुटिवश आवेदन के समय छूट गया था तथा इसके सम्मिलित किये जाने से उनके प्रस्तावित निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि निम्नलिखित है –

मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड	
प्रस्तावित उत्पाद विवरण (डीपीआर के अनुसार)	
चरण-I	**प्रस्तावित क्षमता**
कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीईटी	44.89 मिलियन केसेज़
बेवरेजेस आधारित सिरप	4.0 लाख (बीआईबी)
रेजिन से पीईटी प्रीफॉर्म	33,000 एमटी
सोलर पावर ऊर्जा	4 मेगावाट
चरण-II	
वीएडी बेवरेजेस	8.08 मिलियन केसेज़
फ्रूट पल्प/फ्रूट जूस आधारित पेय पदार्थ	5.23 मिलियन केसेज़
दूध पाउडर	6,260 एमटी
घी/मक्खन	8,186 एमटी
चीज़ (प्रस्तावित वृद्धि)	**3,000 एमटी**

4- उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, अधिसूचना संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 एवं शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-2 में वर्णित प्रथम 03 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

एवं चतुर्थ औद्योगिक इकाई को निर्गत एल.ओ.सी. दिनांक 28.12.2023 में तदनुसार संशोधन किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत/संशोधन किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 03/2025/191(1)/77-6-2025-2(जनरल)/2023तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।